



गुरु घासीदासविश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009, क्रमांक 25 के अंतर्गत स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
GURU GHASIDAS VISHWAVIDYALAYA, BILASPUR (C.G.)

(A Central University established by the Central University Act., 2009 NO.25 of 2009)
Web Site – www.ggu.ac.in, ph. No. 07752-260021, fax No. 07752-260148,154

क्र. ७५६/ अका. / शोध / वानिकी / 2021

11 MAR 2021
बिलासपुर, दिनांक

प्रति,

Miss Damini Sharma (शोधार्थी)
वानिकी, वन्यजीव और पर्यावरण विज्ञान विभाग,
गुरु घासीदास विश्वविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

(पंजीकृत डाक द्वारा)

विषय:— यू.जी.सी. (एम.फिल./पीएच.डी. उपाधि के लिए न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया) विनियम, 2016 के प्रावधानानुसार पीएचडी० उपाधि के लिए पंजीयन।

विभागीय शोध समिति की बैठक दिनांक 09-11-2020 में लिए गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में शोध कार्य हेतु (विषय) वानिकी, विद्यापीठ-प्राकृतिक संसाधन में आपका पंजीयन सक्षम संस्तुति उपरान्त निम्नानुसार किया जाता हैः—

शोध का विषय शीर्षक	शोध निर्देशक		
Evaluation of ecosystem services of southern region of Achanakmar Tiger Reserve, Chhattisgarh	डॉ० गुंजन पाटिल सहायक प्राध्यापक, वानिकी विभाग, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)		
शोध केन्द्र	पंजीयनकर्ता क्रमांक	पंजीयनतिथि	नामांकनकर्ता क्रमांक
वानिकी, वन्यजीव और पर्यावरण विज्ञान विभाग (विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग) गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.)	185134609	09-11-2020	GSF/12/07

- 1 आप यू.जी.सी. (एम.फिल./पीएच.डी. उपाधि के लिए न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया) विनियम, 2016 के प्रावधानों एवं विश्वविद्यालय शोध अध्यादेश एवं विनियम में उल्लिखित नियमों के अनुसार पीएच.डी.शोध कार्यकर्ते हैं। विश्वविद्यालय शोध विनियम 18 के नियमन R-11 के अनुसार शोध पंजीयन तिथि से प्रति छःमाही प्रगति प्रतिवेदन एवं उपस्थिति का लेखा शोध निर्देशक / RAC द्वारा अनुशंसित एवं DRC/Dean के संस्तुति / अनुमोदन के पश्चात जमा करना होगा। यदि निरंतर दो सेमेस्टर प्रतिवेदन असंतोष जनक पाये गये अथवा एक वर्ष तक प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ तो शोध-पंजीयन स्वयमेव निरस्त हो जायेगा। शोध ग्रन्थ प्रस्तुत करने की तिथि से लगभग एक माह पूर्व छः प्रतियों में शोध ग्रन्थ का सार संक्षेप (समरी) शोध निर्देशक के माध्यम से प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

क्रमांक:

2. यह पंजीयन छःवर्ष तक जीवित रहेगा तथा पंजीयन तिथि से छःवर्ष के भीतर शोधार्थी द्वारा शोध ग्रंथ जमा नहीं करने पर पंजीयन छःवर्ष उपरात स्वतः निरस्त हो जावेगा। शोध पंजीयन अवधि में वृद्धि विश्वविद्यालय शोध विनियम 2018 के नियमन R-10 अधीन रहेगा।
3. शोध ग्रंथ प्रस्तुतीकरण/प्रोसेसिंग शुल्क रूपये 5000/- (परिवर्तनीय) विश्वविद्यालय कोष में चालान के द्वारा देय होगा।
4. शोध विनियम के प्रावधानानुसार शोधार्थी को निर्धारित समयावधि में शोध ग्रंथ प्रस्तुत करना होगा। छःमाही प्रगति प्रतिवेदन एवं शोध ग्रंथ जमा करना शोधार्थी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी विश्वविद्यालय द्वारा इस संबंध में स्मरण नहीं कराया जायेगा।
5. शोधार्थी का पंजीयन एवं शोध कार्य विश्वविद्यालय के शोध विनियम-2018 के अधीन होगा। अतः शोधार्थी को यह सलाह दी जाती है कि विश्वविद्यालय शोध विनियम-2018 के प्रावधानों का भली-भांति अध्ययन कर लेवें।

आदेशानुसार,

सहा. कुलसचिव(अका.)
बिलासपुर, दिनांक 1.1.2021

क्रमांक ७५२ / अका० / शोध / वानिकी / 2021

प्रतिलिपि:-

1. शोध निर्देशक- डॉ गुंजन पाटिल सहायक प्राध्यापक वानिकी विभाग, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर ७००० एको इस निवेदन के साथ प्रेषित है कि वे ऊपर लिखित शोध अध्यादेश/विनियम के प्रावधानानुसार संलग्न प्रारूप में शोध छात्र का प्रत्येक सेमेस्टर छःमाही प्रगति प्रतिवेदन विश्वविद्यालय को अनिवार्य रूप से प्रेषित करें। विश्वविद्यालय द्वारा इस संबंध में अलग से पत्र व्यवहार नहीं किया जायेगा।
2. विभागाध्यक्ष, वानिकी विभाग, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर ७००० की ओर सूचनार्थ।
3. सहायक कुलसचिव, गोपनीय शाखा गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ।
4. ग्रंथपाल, केन्द्रीय ग्रंथालय, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सूचनार्थ।
5. विभागाध्यक्ष, संगणक विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की ओर वेब पटल पर अपलोड किये गये सूची में शामिल करने हेतु प्रेषित।
6. संबंधित नस्ती प्रति।

सहा. कुलसचिव(अका.)
गुरु घासीदास विश्वविद्यालय,
 बिलासपुर(छ.ग.)